बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय: औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति मद में जिलों/सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को किये जाने वाले आबंटन की प्रक्रिया में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति।

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं० 466(1), दिनांक 18.05.2010 के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 के तहत बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) गठित है, जिसे गुणवत्तायुक्त औषधियों, चिकित्सकीय सामग्रियों आदि के क्रय एवं उसकी आपूर्ति हेतु बिहार वित्त नियमावली के नियम 129 के अन्तर्गत "राज्य क्रय संगठन" नामित किया गया है। निगम को गुणवत्तायुक्त औषधि, उपकरण, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति की व्यवस्था न्यूनतम दर पर करनी है।

2. इस व्यवस्था के तहत सभी जिलों के सिविल सर्जन द्वारा अपने-अपने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों के लिये एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों द्वारा अपनी आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति हेतु BMSICL को विहित प्रक्रियानुसार DVDMS के माध्यम से ऑनलाईन अधियाचना निर्गत किया जाता है। जिलों एवं अन्य विभिन्न स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के ऑनलाईन अधियाचना/क्रयादेश के आलोक में BMSICL द्वारा, अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित शर्ताधीन, अधियाचित औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित जिलों/विभिन्न स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को किया जाता है। तदोपरांत BMSICL द्वारा इन संस्थान को आपूरित औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों का विपत्र संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाता है। BMSICL के विपत्र के आलोक में सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा NHM/स्वास्थ्य विभागीय बजट आबंटन में उपलब्ध निधि से BMSICL को विहित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाता है।

3. BMSICL, औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राज्य क्रय संगठन है। राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक औषधियों की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने का दायित्व भी BMSICL की है। औषधियों की आपूर्ति शृंखला में परिचालन संबंधी कठिनाईयाँ/अंतर दृष्टिगोचर होते रहे है। इसका मुख्य कारण यह है कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिलों के सिविल सर्जन द्वारा औषधियों की आपूर्ति हेतु BMSICL को ससमय अधियाचना/क्रयादेश (Indent) निर्गत नही किया जा रहा है। जिलों से औषधियों की प्राप्ति हेतु इंडेंट ससमय प्राप्त नही होने के कारण BMSICL द्वारा भी निगम के दर अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं को ससमय क्रयादेश (Purchase order) निर्गत नही किया जाता है, इस प्रकार निगम के भंडार में आवश्यक औषधियों का अभाव बना रहता है। जिलों से औषधियों का पर्याप्त एवं ससमय इंडेंट BMSICL को प्राप्त नही होने के कारण कतिपय मामलों में औषधियों के तिथिवाद होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। फलतः जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों हेतु Indenting प्रक्रिया का नियमतः पालन सुनिश्चित नही हो पाने से जिलों के

स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति शृंखला बाधित होती है और मरीजों को दी जाने वाली आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में निरंतरता नही रह जाती है। फलस्वरूप सिविल सर्जन एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर औषधियों आदि का क्रय करना पड़ता है, इस प्रक्रिया में औषधियों के मानक स्तर का निर्धारण एवं दर में एकरूपता नही रह जाती है। जिलों में औषधियों की आपूर्ति शृंखला की प्रकीर्ण व्यवस्था के कारण BMSICLके कार्यो को मूर्तरूप देने में कठिनाई हो रही है। जिलास्तरीय पदाधिकारियों के पास औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की अधिप्राप्ति संबंधी कार्याधिक्य होने के कारण स्वास्थ्य सेवायें भी प्रभावित होती रही है। औषधि एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की अधिप्राप्ति/आपूर्ति हेतु निगम First point Procurement Agency है न कि जिला एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। अतएव चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिलों के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति एकल स्रोत अर्थात BMSICL से ही किया जाना है।

4. केन्द्रीयकृत आपूर्ति व्यवस्था के अनुसरण के क्रम में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) को आ रही कठिनाईयों की ओर निगम के पत्रांक 144, दिनांक 09.04.2019 द्वारा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया है। निगम द्वारा यह रेखांकित किया गया है कि निविदा शर्त्त के अनुरूप जाँच में औषधि/दवा के मानक कोटि का पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता को 30 (तीस) दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा संस्थान निगम के विपत्रों का अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करें परन्तु व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पा रहा है। फलतः भुगतान में विलम्ब होता है एवं आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति बाधित अथवा विलंबित कर दिये जाने के कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित होती है।

5. स्पष्ट है कि विकेन्द्रीकृत वर्तमान बजट आवंटन की व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा बजट आवंटन संबंधित जिलों/सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को किया जाता है, जिससे आपूर्तिकर्त्ताओं को ससमय भुगतान करने में निगम को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निगम द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति शृंखला बनाये रखने, औषधियों की ससमय अधिप्राप्ति एवं आपूर्तिकर्ताओं को ससमय भुगतान करने हेतु बिहार सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदत्त औषधि आपूर्ति मद की राशि सीधे BMSICLको उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

6. स्वास्थ्य विभाग के स्तर से निगम को आर्थिक रुप से सुदृढ़ रखने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की निरन्तरता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निगम के स्तर से औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। इसी प्रकार इस आपूर्ति को निर्बाध बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि निगम को समय पर भुगतान प्राप्त होता रहे। इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 1378(1) दिनांक 06.12.2018 द्वारा निगम को चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु रू० 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) मात्र के निवेश की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

7. उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिदृश्य में रू० 12 प्रति व्यक्ति की दर से सरकार द्वारा औषधि आपूर्ति मद में बजटीय उपबंध किया जा रहा है। कालान्तर में इसे वर्द्धित कर

रू0 50 प्रति व्यक्ति करने का प्रयास है, जिसके अनुसार लगभग रू0 600 करोड़ की बजटीय उपबंध की आवश्यकता होगी।

8. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में EDL में अधिसूचित 310 प्रकार की औषधियों में से 200 प्रकार की औषधियों का दर अनुबंध पूर्ण कर लिया गया है। इन औषधियों की केन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम को प्रबंधकीय एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जाना अपरिहार्य है।

9. अत: EDL में निहित औषधियों की, राज्य के सभी स्तर के चिकित्सा संस्थानों के लिये, केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति, आपूर्ति की निरंतरता, प्रबंधन की सुगमता तथा इनमें पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सम्यक् विचारोपरान्त दवा भंडार तथा मशीनें एवं उपस्कर विषय शीर्ष अंतर्गत विभागीय बजट आवंटन की वर्तमान व्यवस्था को निम्नवत परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) विभाग को मुख्यत: तीन श्रोतों यथा- केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर-योजना) अन्तर्गत बजट उपबंध प्राप्त होता है।

(ख) भविष्य में केन्द्र प्रायोजित योजना या केन्द्रीय मद की राशि से संबंधित 100 प्रतिशत बजट उपबंध एकमुश्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को आबंटित की जायेगी। राज्य योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर-योजना) के अन्तर्गत के बजट उपबंध का न्यूनतम 80 प्रतिशत उपबंध सीधे BMSICLको एवं शेष 20 प्रतिशत (अधिकतम) संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को आवंटित किया जायेगा। चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए यह अनुपात 70:30 प्रतिशत होगा।

(ग) विभिन्न बजट शीर्ष अन्तर्गत जिलों/सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को आवंटित/उपलब्ध करायी जा रही 20/30 प्रतिशत बजट उपबंध की राशि केवल स्थानीय स्तर पर क्रय के लिये न होगी बल्कि संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक आदि इस राशि से भी BMSICL के माध्यम से क्रय किये जाने में प्राथमिकता देंगे। स्थानीय स्तर पर केवल आपात/अपरिहार्य स्थिति एवं जिन औषधि/सामग्री का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया जा सका है, का क्रय किया जा सकेगा।

(घ) (i) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत के विभिन्न मदों यथा:-NHM Free Drugs Services, JSSK drugs & consumables, RBSK drugs, NMHP drugs, NPHCE drugs and consumables NCD Clinic drugs एवं UPHC drugs, के अन्तर्गत आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति के लिये विभिन्न बजट शीर्षो में आवंटित राशि का 80 प्रतिशत राशि BMSICL के लिये आरक्षित रखेगी एवं शेष 20 प्रतिशत आवंटन (आपात/अपरिहार्य स्थिति एवं जिन औषधि का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया जा सका है मात्र उनका क्रय, जिला क्रय समिति के माध्यम से करने हेतु) जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित/उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) इस व्यवस्था के तहत औषधि/चिकित्सकीय सामग्री आपूर्ति मद में प्रत्येक जिला के लिये राशि की एक निश्चित अधिसीमा निर्धारित करने हेतु संबंधित बजट शीर्षो में वर्तमान प्रक्रियानुसार जिलावार बजट का आवंटन इस प्रकार किया जायेगा कि संबंधित जिला एवं BMSICL को यह अभिज्ञात रहे कि संबंधित जिला के लिये कितनी राशि कर्णांकित है, जिसके अन्तर्गत वे अपनी अधियाचना भेज सकते है।

(iii) इस व्यवस्था के तहत कुल बजट उपबंध का 80 प्रतिशत राशि BMSICLको हस्तांतरित करने हेतु राज्य स्तर पर (अर्थात राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार) आरक्षित रखा जायेगा एवं उपबंध का शेष 20 प्रतिशत राशि जिलों को आवंटित किया जा सकेगा।

(ड़) उपर्युक्त कंडिका 'घ' की व्यवस्था एवं जिलावार बजट की अधिसीमा के अंतर्गत सभी जिला स्वास्थ्य समिति EDL में निहित औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु विहित प्रक्रियानुसार DVDMS के माध्यम से ऑनलाईन अधियाचना/क्रयादेश BMSICL को निर्गत कर सकेंगे। जिलास्तर पर, शेष 20 प्रतिशत बजट उपबंध की अधिसीमा के अंतर्गत, EDL की औषधियाँ (आपात स्थिति एवं जिस औषधि का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं है के संबंध में) बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं सुसंगत क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये, जिला क्रय समिति के माध्यम से क्रय की जा सकेंगी।

(च) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के बीच वितरित की जाने वाली औषधियाँ (जिनका दर अनुबंध BMSICLद्वारा किया गया है), यथा:-Iron and Folic Acid (IFA)Tablet- (Pink, Indigo Carmine), IFA Syrup, Albendazole Tablet, Vitamin A Syrup आदि, का पूर्ण बजट BMSICL को आवंटित करने हेतु राज्य स्तर पर आरक्षित रखा जायेगा।

(छ) इसी प्रकार राज्य के सभी जिलों/सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के लिये राज्य योजना एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उक्त मदों के संगत विषय शीर्ष के बजट उपबंध की न्यूनतम 80 प्रतिशत राशि सीधे BMSICL को आवंटित की जा सकेंगी एवं शेष 20 प्रतिशत (अधिकतम) राशि (आपात/अपरिहार्य स्थिति एवं जिन औषधि का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया जा सका है मात्र उनका क्रय स्थानीय क्रय समिति के माध्यम से करने हेतु) सिविल सर्जन कार्यालय/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान को आवंटित की जायेगी। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के मामलों में इसका अनुपात क्रमश: 70:30 प्रतिशत रहेगा एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के स्तर पर क्रय हेतु भी समरूप शर्त होगी।

(ज) राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति के विरूद्ध केन्द्रीय मद की राशि प्राप्त करने हेतु BMSICL द्वारा जिलों में आपूर्ति की गयी औषधियों की जिलावार विवरणी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समय-समय पर अधियाचना करेगी, जिसके आलोक में निगम को दो किस्तों में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किस्त के रूप में निगम द्वारा अधियाचित राशि की मात्र 50 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य विभाग/NHM की औषधि आपूर्ति मद में स्वीकृत बजट के 80 प्रतिशत बजट में से BMSICL को उपलब्ध करायी जायेगी। निगम द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति करने तथा उपलब्ध करायी गयी राशि का न्यूनतम 80 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/Statement of Expenditure (SoE) स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति को समर्पित करने के उपरांत शेष राशि निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. BMSICL औषधियों की निर्बाध एवं ससमय आपूर्ति तथा आपूर्तिकर्त्ताओं को ससमय भुगतान सुनिश्चित करेगी। इन राशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी BMSICL, अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सिविल सर्जन एवं जिला स्वास्थ्य समितियों की होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश,

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-12/प0-क0-09-07/2019 पटना, दिनांक .....

(SHSB/PM/233/2009/Part-I)

प्रतिलिपिः—ई—गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 12/प0-क0-09-07/2019 / /2019

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 12/प0-क0-09-07/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः—प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 12/प0-क0-09-07/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक,स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना /निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी अपर मुख्यखचिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/निदेशक/उपाधीक्षक, सदर एवं अन्य सरकारी अस्पताल, बिहार/सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 12/प0-क0-09-07/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव(सी0एफ0एम0एस0, प्रभारी) वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 12/प0-क0-09-07/2019- 545(12) /पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/06/2019

सरकार के प्रधान सचिव।